रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 81] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 19, 2012/पौष 29, 1933
No. 81] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 19, 2012/PAUSA 29, 1933

पर्यावरण और वन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2012

का.आ. 91(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तमिलनाडु तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी तीन वर्षों की अवधि के लिए प्राधिकरण का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:—

1. सरकार के सचिव, पर्यावरण और वन विभाग तमिलनाडु सरकार। —अध्यक्ष
2. नगर और ग्राम योजना निदेशक, 807, अन्ना सलाई, चैन्नई-2। —सदस्य
3. मत्स्य निदेशक, चैन्नई-6। —सदस्य
4. सदस्य सचिव, तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गिन्डी, चैन्नई-32। —सदस्य
5. सदस्य सचिव, चैन्नई महानगर विकास प्राधिकरण, इगमोर, चैन्नई-8। —सदस्य
6. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भूजल बोर्ड, राजाजी भवन, बसंत नगर, चैन्नई-90। —सदस्य
7. प्रोफेसर, आर. रमेश, निदेशक, राष्ट्रीय वहनीय तटीय प्रबंध संस्थान, चैन्नई-25। —सदस्य
8. श्री बी. आर. सुब्रमणियम, परियोजना निदेशक और वैज्ञानिक 'जी', एकीकृत तटीय और समुद्री क्षेत्र प्रबंधन परियोजना निदेशालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान कैंपस, वालाचैरी-तमबरम मुख्य रोड, पल्लीकरनैल, चैन्नई-600100। —सदस्य
9. डा. एम. रामालिंगम, निदेशक, दूरस्त संवेदी संस्थान, अन्ना विश्वविद्यालय, चैन्नई-90। —सदस्य
10. डा. के. थानाशेखरन, निदेशक, पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, अन्ना विश्वविद्यालय, चैन्नई-90। —सदस्य
11. थिरू के. कालिदासन, संस्थापक, ओएसएआई पर्यावरणीय संगठन, 70-ए, राजू नायडू स्ट्रीट, शिवानन्द कॉलोनी, कोयमबटूर, तमिलनाडु-641012। —सदस्य
12. पर्यावरण निदेशक, तमिलनाडु सरकार, सैदापेट, चैन्नई-15। —सदस्य सचिव

II. प्राधिकरण को तमिलनाडु राज्य के क्षेत्रों में समुद्र तटीय पर्यावरण की क्वालिटी को संरक्षित करने और सुधारने तथा पर्यावणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के लिए नियंत्रण करने के लिए तटीय विनियम जोन अधिसूचना 2011 को क्रियान्वित और प्रवर्तित करने की निम्नलिखित शक्ति होगी, अर्थात् :—

(i) तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना के अनुसरण में और तटीय विनियम जोन अधिसूचना के अनुपालन में परियोजना का परीक्षण करेगा और पूर्ण आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर अपनी सिफारिशें करेगा:—

(क) यथास्थिति पर्यावरण और वन मंत्रालय या राज्य पर्यावरण समाघात अवधारण प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् रापसअप्र कहा गया है) पर्यावरण समाघात अवधारण अधिसूचना, 2006 को प्रभावित परियोजना के लिए करेगा;

(ख) पर्यावरण और वन मंत्रालय पर्यावरण समाघात अवधारण अधिसूचना 2006 के अंतर्गत नहीं आने वाली परियोजनाओं को किन्तु पर्यावरण विनियम जोन अधिसूचना के पैरा 4 के खंड (ii) में विनिर्दिष्ट करते हों, करेगा ;

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के अंतर्गत नहीं आने वाली परियोजनाओं के लिए संबंधित राज्य प्राधिकरण को करेगा।

(ii) राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, स्थानीय प्राधिकरण या संबद्ध तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण ऐसे अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना के ढांचे के भीतर यथास्थिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसरण में इस अधिसूचना में सूचीबद्ध सभी विभागीय क्रियाकलापों को विनियमित करने वाले इस अधिसूचना के अनुसरण में होंगे।

(iii) राज्य सरकार, या संघ राज्यक्षेत्र तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण के इस अधिसूचना के प्रवर्तन और मानीटिरी के लिए प्रारंभिक रूप से उत्तरदायी होंगे और इस लक्ष्य में, स्थानीय पारंपरिक तटीय समुदायों के कम से कम तीन प्रतिनिधि जिसके अंतर्गत मछुआरा समुदाय भी है, संबद्ध जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता के अधीन जिला स्तर समितियां राज्य सरकार और संघ राज्यक्षेत्र गठित करेगी।

(iv) तमिलनाडु राज्य सरकार से प्राप्त तटीय विनियमन जोन और तटीय जोन प्रबंध योजना के लिए वर्गीकरण में परिवर्तन या उपातरणों के लिए प्रस्तावों की परीक्षा करेगी और विशिष्ट सिफारिशों को राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को भेजेगी।

(v) (क) उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों या कोई अन्य विधि जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित है, के उपबंधों के अभिकथित उल्लंघन के मामलों में जांच, और किसी विशिष्ट मामले में आवश्यक पाए जाने पर, उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जहां तक ऐसे निदेश राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस विशिष्ट मामले में जारी किसी निदेश से असंगत नहीं है जारी करना;

(ख) उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों या कोई अन्य विधि जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित है, के उपबंधों के उल्लंघन को अंतर्वलित करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन, और आवश्यक पाए जाने पर ऐसे मामलों को टिप्पणी के साथ राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण के पुनर्विलोकन के लिए निर्दिष्ट करना:

परंतु पैरा 2 के उप-पैरा (v) (क) और (ii) (ख) के अधीन मामले या तो स्वत: ही लिए जा सकेंगे या किसी व्यष्टि, अथवा किसी प्रतिनिधि निकाय या किसी संगठन द्वारा किए गए परिवाद के आधार पर लिए जा सकेंगे।

(vi) इस आदेश के पैरा (ii) के उप-पैरा (i) और (ii) के अधीन इसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के अननुपालन की दशा में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करना।

(vii) इस आदेश के पैरा (2) के उप-पैरा (i) और (ii) से उद्भूत विवाद्यकों से संबंधित तथ्यों को सत्यापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना।

III. प्राधिकरण तटीय विनियमन जोन से संबंधित पर्यावरणीय विवाद्यकों को निपटाएगा जो उसे तमिलनाडु की राज्य सरकार, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकेंगे।

IV. तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का यह उत्तर-दायित्व होगा कि वह एक समर्पित वेबसाइट का सृजन करे और उस पर कार्यसूची, कार्यवृत, किए गए विनिश्चय, अनापत्ति पत्र, उल्लंघन, उल्लंघनों पर कार्रवाई और न्यायालय मामले जिसके अंतर्गत माननीय न्यायालय के आदेश हैं तथा संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र की अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना भी डालेगा।

V. प्राधिकरण छह मास में कम से कम एक बार अपने क्रियाकलापों की रिपोर्ट राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को भेजेगा।

VI. प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियां और कृत्य केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगी।

VII. प्राधिकरण का मुख्यालय चैन्नई में होगा।

VIII. प्राधिकरण के विस्तार और अधिकारिता के भीतर विशिष्ट रूप से नहीं आने वाला कोई विषय संबंधित कानूनी प्राधिकारियों द्वारा निपटाया जाएगा।

[फा. सं. जे-17011/18/96-आईए-III]

डा. नलिनी भट्ट, वैज्ञानिक 'जी'

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

ORDER

New Delhi, the 18th January, 2012

S.O. 91(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby constitutes an authority to be known as the Tamil Nadu Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of three years, with effect from the date of publication of this order in the Official Gazette, namely :—

1. Secretary to Government, Environment and Forests Department, Government of Tamil Nadu. —Chairman
2. Director of Town and Country Planning, Government of Tamil Nadu, 807, Anna Salai, Chennai-2. —Member
3. Director of Fisheries, Government of Tamil Nadu, Chennai-6 —Member
4. Member Secretary, Tamil Nadu Pollution Control Board, Guindy, Chennai-32. —Member
5. Member Secretary, Chennai Metropolitan Development Authority, Egmore, Chennai -8. —Member
6. Regional Director, Central Groundwater Board, Rajaji Bhawan, Besant Nagar, Chennai-90. —Member
7. Professor. R. Ramesh, Director, National Institute for Sustainable Coastal Management, Anna University, Chennai-25. —Member
8. B.R.Subramanian, Project Director and Scientist 'G', Integrated Coastal and Marine Area Management Project Directorate, Ministry of Earth Sciences, National Institute of Ocean Technology Campus, Velachery-Tambaram Main Road, Pallikaranai, Chennai -600100 —Member
9. Dr. M.Ramalingam, Director, Institute of Remote Sensing, Anna University, Chennai-25. —Member
10. Dr. K. Thanasekaran, Director, Centre for Environment Studies, Anna University, Chennai-25. —Member
11. Thiru K. Kalidasan, Founder, OSAI Environmental Organization. 70-A, Raju Naidu Street, Sivananda Colony, Coimbatore, Tamil Nadu-641 012 —Member
12. Director of Environment, Government of Tamil Nadu, Saidapet, Chennai -15. —Member Secretary

II. The Authority shall have the power to implement and enforce the Coastal Regulation Zone Notification, 2011 for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in areas of the State of Tamil Nadu, namely :—

(i) The Coastal Zone Management Authority shall examine the project proposals in accordance with the approved Coastal Zone Management Plan and in compliance with Coastal Regulation Zone notification and make recommendations within a period of sixty days from date of receipt of complete application: -

(a) The Ministry of Environment and Forests of State Environmental Impact Assessment Authority as the case may be, for the project attracting Environment Impact Assessment notification, 2006;

(b) the Ministry of Environment and Forests for the projects not covered in the Environment Impact Assessment notification, 2006 but attracting clause (ii) of para 4 of the Coastal Regulation Zone notification;

(c) to the concerned State Authority for the projects not covered under (a) and (b) above.

(ii) The State Government, Union Territory Administration, the local authority or the concerned Coastal Zone Management Authority within the framework of such approved Coastal Zone Management Plans as the case may be, in accordance with provisions of this notification shall regulate all developmental activities listed in this notification.

(iii) The State Government or the Union Territory Coastal Zone Management Authorities shall primarily be responsible for enforcing and monitoring of this notification and to assist in this task, the State Government and the Union Territory shall constitute District Level Committees under the Chairmanship of the District Magistrate concerned containing at least three representatives of local traditional coastal communities including from fisher folk.

(iv) Examination of proposals for changes or modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan received from the Tamil Nadu State Government and making specific recommendations to the National Coastal Zone Management Authority therefore.

(v) (a) Inquiry into cases of alleged violation of the provisions of the said Act and the rules made thereunder or any other law which is relatable to the objects of the said Act and, if found necessary, in a specific case, issuing directions under section 5 of the said Act, insofar, as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government;

(b) Review of cases involving violations of the provisions of the said Act and the rules made thereunder, or under any other law which is relatable to the objects of the said Act, and if found necessary, referring such cases, with comment, for review to the National Coastal Zone Management Authority :

Provided that the cases under sub-paragraphs (v) (a) and (ii) (b) of paragraph II may either be taken up suo-moto or on the basis of complaint made by an individual or a representative body or an organization.

(vi) Filing complaints, under Section 19 of the said Act in cases of non-compliance of the directions issued by it under sub-paragraphs (i) and (ii) of paragraph II of this Order.

(vii) To take action under Section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub-paragraphs (i) and (ii) of paragraph II of the Order.

III. The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone which may be referred to it by the State Government of Tamil Nadu, the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government.

IV. To maintain transparency in the working of the Coastal Zone Management Authorities, it shall be the responsibility of the Coastal Zone Management Authority to create a dedicated website and post the agenda, minutes, decisions taken, clearance letters, violations, action taken on the violations and court matters including the Orders of the Hon'ble Court as also the approved Coastal Zone Management Plans of the respective State Government or Union territory.

V. The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.

VI. The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government.

VII. The Authority shall have its headquarters at Chennai.

VIII. Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority as so constituted shall be dealt with by the statutory authorities concerned.

[F. No. 17011/18/96-IA-III]

Dr. NALINI BHAT, Scientist 'G'

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.